ject, the clearance for the project would be governed by the existing provisions of the Forest Conservation Act of 1980.

नाथपा झाकड़ी परियोजना के कार्यालय को स्थानांतरित किया जाना

689. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के निर्णय के अनुसार नाथपा झाकड़ी परियोजना निगम का कार्यालय नई दिल्ली से शिमला-हिमाचल प्रदेश में पूर्ण रूप से स्थानांतरित कर दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो किस तिथि को; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है और सरकार के निर्देशों को कब तक पूर्णतया लागू किया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) से (ग) नाथपा झाकरी विद्युत निगम (एनजेपीसी) द्वारा अपना निगम मुख्यालय 01 नवम्बर, 1995 से दिल्ली से शिमला में स्थानांतरित कर लिया गया है। वर्तमान में, एनजेपीसी का एक संपर्क कार्यालय दिल्ली में स्थित है जोकि नाथपा झाकरी जल-विद्युत परियोजना (1500 मेगावाट) के क्रियान्वयन से संबंधित रोजमर्रा के समन्वयन सम्बन्धी कार्यों को देखता है।

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए०यू० डब्ल्यु०एस०पी०) के अंतर्गत गुजरात के शहरों को प्राथमिकता दिया जाना

690. **श्री घोपाल्व सिंह जी० सोलंकी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1993-94 में शुरू किये गये त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम को जारी रखने का है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात के कितने शहरों में उक्त योजना प्राथमिकता के आधार पर शुरू की जायेगी;

(ग) राज्य के उन शहरों के नाम क्या हैं जहां उक्त योजना शुरू की गई थी;

(घ) क्या सरकार ने राज्य के जल अभाव ग्रस्त शहरों में उक्त योजना को तत्काल प्राथमिकता देने का निर्णय किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू): (क) जी, हां। (ख) गुजरात राज्य में 20 हजार से कम आबादी (1991 की जनगणना के अनुसार) वाले 84 कस्बे त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत मदद के हकदार हैं।

(ग) कार्यक्रम के तहत धर्मपुर, बंटवा, घरौल, ओखापोर्ट, जोडिया, गौडरदा, वरवाला, और सुजाक्करडी कस्बों के लिए स्कीमें पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं, जो राज्य सरकार द्वारा चलायी जानी हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। जल आपूर्ति राज्य का विषय है। अतः कस्बों के चयन के लिए राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र, राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन करती हैं। यह चयन समिति त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार कस्बों के बारे में विचार करती है। राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन के समय इन कस्बों को प्राथमिकता दी जाती है, जो गंभीर जल संकट सहित किसी खास समस्या से ग्रसित होते हैं।

Encroachments on IOC and HPC Lands in Rourkela

691. **SHRI RAHASBIHARI BARIK:** Will the PRIME MINISTER, be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the large scale encroachments on land at Rourkela in Orissa, belonging to Indian Oil Corporation and the Hindustan Petroleum Corporation;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the details of steps taken to get the encroached lands vacated?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) There is no encroachment on land at Rourkela in Orissa, belonging to Indian